

## केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, (सिपेट) कौशल एवं तकनीकी सहायता केंद्र (सी.एस.टी.एस) - ग्वालियर

एयरपोर्ट के सामने, भिंड रोड, डांग महाराजपुरा, ग्वालियर (मध्य प्रदेश) – 474005

सिपेट : सीएसटीएस—ग्वा./ओ.एम./एससी—एसटी/2024—25/

दिनांक 05.09.2024

CIPET:CSTS/GWL/OM/SC-ST/2024-25/

Date: 05.09.2024

## कार्यालय आदेश / Office order

विषय : सिपेट:सी.एस.टी.एस ग्वालियर में एस.सी—एस.टी समिति के पुनर्गठन के सम्बंध। Sub.: Re-constitution of SC/ST Committee at CIPET: CSTS, Gwalior - reg.

यह समिति ए.आई.सी.टी.ई और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की संख्या 33, दिनांक 11.09.1989 के दिशानिर्देशों के अनुसार गठित की गई है, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए अत्याचार के अपराधों को रोकने के लिए अनुसचित जाति / अनुसूचित जनजाति के सदस्य समिति का गठन किया गया है।

This committee is formed as per the guidelines of AICTE and Scheduled Caste & Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) act 1989, No.33 dated 11.09.1989, Committee for SC/ST is constituted to prevent offences of atrocities against the member of SC/ST.

Sl. No.	Name	Designation	Responsibility	Contact
1.	Mr. Sarvanan S.	Technical Officer	Member	91-9579902346
2.	Mr. Purshottam Ojha	Officer (P & A)	Member	91-9461328758
3.	Mr. Lakhan Singh	Asst. Tech. Officer	Member	91-9893344859
4.	Mr. Vijay Kumar Nagar	Admin Asst. Grade-I	Member	91-9926248400
5.	Mr. Ranjit Singh	MTS Gr-I	Member	91-9896594836

संबंधित कर्मचारी, अनुसचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र और उनके माता—पिता उपरोक्त अधिनियम के दायरे में आने वाली किसी भी शिकायत के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए समिति से सम्पर्क कर सकते हैं।

Concerned employees, SC/ST students and their parents may hence forth approach the committee for SC/ ST for any complaint that falls under the purview of above act.

To:-

1. सभी संबंधित / All Concerned

2. सूचना पट्ट / Notice Board

संयुक्त निदेशक एवं प्रमुख Joint Director & Head